

बिहार विधान सभा के लिए शून्यकाल सूचना

<p>श्री कुमार शैलेन्द्र, मा० स० वि० स० द्वारा दि०-15. 03.2011 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के उत्तर के संबंध में।</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना</p>
<p>शून्यकाल सूचना</p>	<p>उत्तर</p>
<p>भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के भवनपुरा ग्राम में सन् 2006 में भीषण आग लगने से सैकड़ों घर जलकर स्वाहा हो गया था। अतः पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं इन्दिरा आवास की मांग करता हूँ।</p>	<p>भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखण्ड के भवनपुरा ग्राम में वर्ष 2006 में अग्निकांड नहीं हुआ था। वर्ष 2007 में अग्निकांड हुआ था। अग्निकांड से पीड़ित 417 परिवारों को अग्निकांड साहाय्य अन्तर्गत प्रति परिवार 1000.00 रु० नगद राशि, चूड़ा, शक्कर एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। ग्राम भवनपुरा में अग्निकांड से प्रभावित कुल 417 परिवारों की जाँच की गई जिसमें बी०पी०एल० परिवारों की सं०-204 पाया गया। सभी 204 परिवारों को इन्दिरा आवास का आवंटन किया गया है, जिसमें से 157 परिवारों को लाभ दिया जा चुका है। शेष परिवारों को जमीन उपलब्ध नहीं रहेने के कारण आवंटित नहीं किया गया है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने वासगीत जमीन खरीदकर इन्दिरा आवास के लाभ हेतु आवेदन किये हैं जिसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-62/2011/...../आ०प्र०, पटना-15, दि०-


प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक -999 दि०-11.04.2013 के क्रम में 04(चार) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-62/2011/.....³⁴⁸⁵...../आ०प्र०, पटना-15, दि०- 14/8/13.

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी